

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


31.10.2023

वाद सं०-56/2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती मरियम लकड़ा, ग्राम-करकट्टा, पो०-राजा उलातू, राँची अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची ने शिकायतकर्ता को सवा गुणा मुआवजा सहित राशन उपलब्ध करा दिये जाने का लिखित प्रमाण पेश किया है आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि वो अपने अधीन आने वाले सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानों में निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे, और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें कि क्षेत्र के किसी भी लाभुक को अनाज कम दिये जाने की शिकायत न रहें। उपरोक्त निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।


आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।